November 17, 2026

To,

BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Mumbai - 400 001
Scrip Code: 532529

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai - 400 051
Scrip Symbol: NDTV

Sub: Newspaper advertisement regarding dispatch of Postal Ballot Notice

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copies of the newspaper advertisement regarding electronic dispatch of Postal Ballot Notice, published on Tuesday, November 17, 2026, in the following newspapers:

- Financial Express; and
- Jansatta.

You are requested to take the same on record.

Thanking you,

Yours sincerely,

For New Delhi Television Limited

PARINITA BHUTANI DUGGAL

Digitally signed by PARINITA BHUTANI DUGGAL
Date: 2026.11.17 11:36:21 +05'30'

Parinita Bhutani Duggal
Company Secretary and Compliance Officer

Encl.: As above

NEW DELHI TELEVISION LIMITED

CIN: L92111DL1988PLC033099
Regd. Off.: W-17, 2nd Floor, Greater Kailash – I, New Delhi-110048
Phone: (91-0120) 6835000, 6462200 | E-mail: secretarial@ndtv.com | Website: www.ndtv.com

POSTAL BALLOT NOTICE AND E-VOTING INFORMATION

The Members of New Delhi Television Limited ("the Company") are hereby informed that pursuant to Sections 108, 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ("the Act"), read with the Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administrations) Rules, 2014, the General Circular Nos. 14/2020 dated 8th April, 2020, 17/2020 dated 13th April, 2020, 20/2020 dated 5th May, 2020, 22/2020 dated 15th June, 2020, 33/2020 dated 28th September, 2020, 39/2020 dated 31st December, 2020, 10/2021 dated 23rd June, 2021, 20/2021 dated 8th December, 2021, 3/2022 dated 5th May, 2022, 11/2022 dated 28th December, 2022 and 9/2023 dated 25th September, 2023, 9/2024 dated 19th September, 2024 and 03/2025 dated 22nd September, 2025 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India (collectively referred to as "**MCA Circulars**"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Secretarial Standard on General Meetings ("**SS-2**") issued by the Institute of Company Secretaries of India and any other applicable law, rules, and regulations (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force), the Company seeks the approval of the Members for the Special Businesses by way of Special resolution, as set out in the Postal Ballot Notice dated October 26, 2026 along with the explanatory statement, by way of electronic means (i.e. remote e-voting) only.

The electronic copies of Postal Ballot Notice ("the Notice") along with the Explanatory Statements have been dispatched on Monday, November 16, 2026, to those Members whose names appear on the Register of Members / List of Beneficial Owners as received from the National Securities Depository Limited ("**NSDL**") and Central Depository Services (India) Limited ("**CDSL**") as on Friday, November 13, 2026 ("**Cut-Off date**") and who have registered their e-mail addresses with the Company/ Depositories/RTA. The physical copies of the Notice along with Postal Ballot forms and pre-paid business reply envelopes are not being sent to Members for this postal ballot in line with the exemption provided in the MCA Circulars.

If your e-mail address is not registered with the Company/ RTA/ Depositories, please follow the following procedure for registration of email address and for receipt of login ID and password for e-voting:

i. Members holding shares in physical mode are requested to register / update their e-mail address by writing to RTA at einward.ris@kfintech.com
ii. Members holding shares in dematerialized mode are requested to register / update their email addresses with their respective Depository Participant.

The Notice is available on the website of the Company i.e. www.ndtv.com and on the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively and on the NSDL at www.evoting.nsdl.com.

The Company provides the Members the facility to exercise their right to vote by electronic means only through E-voting services provided by NSDL. The detailed instructions for E-voting have been provided in the Notice.

The remote E-voting facility is available during the following period:

Commencement of E-voting	9:30 a.m. on Tuesday, November 17, 2026
Conclusion of E-voting	5:00 p.m. on Wednesday, December 16, 2026

The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. During this period, Members holding shares either in physical form or in dematerialized form as on cut-off date may cast their vote by e-voting.

Once the vote on a resolution is cast by the Member, he/she is not allowed to change it subsequently. The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date. A person who is not a member as on the cut-off date should treat this Notice for information purpose only.

The Board of Directors of the Company has appointed M/s. Vishal Arora and Associates, Practicing Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the postal ballot process in a fair and transparent manner.

The result of the voting conducted through postal ballot along with the Scrutinizer's Report will be declared within two (2) working days from the conclusion of the postal ballot i.e., on or before December 18, 2026. The said results will be displayed at the Registered Office of the Company after intimating to the Stock Exchanges i.e. National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited, where the shares of the Company are listed. Additionally, the results will also be uploaded on the Company's website i.e., www.ndtv.com and on the website of NSDL i.e. www.evoting.nsdl.com

In case of any queries or issues regarding e-voting, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and the e-voting user manual for Shareholders available at www.evoting.nsdl.com or call on 022 – 4886 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Deputy Vice President, NSDL at evoting@nsdl.co.in.

For New Delhi Television Limited
Sd/-
Parinita Bhutani Duggal
Company Secretary and Compliance Officer

Place: New Delhi
Date: November 16, 2026

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

Bandhan Bank

Regional Office : Netaji Marg, Nr. Mithakhali Six Roads, Ellisbridge, Ahmedbad-6. Phone: +91-26421671-75

SYMBOLIC POSSESSION NOTICE

NOTICE is hereby given under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, the Authorized Officer issued demand notice to the Borrowers on the date mentioned against the account stated hereinafter calling upon them to repay the amount within 60 days from the date of receipt of said notice.
The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Public in general and in particular the Borrowers that the undersigned has taken the Symbolic Possession of the property described herein below under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on the date mentioned against the account.
The borrower in particular and the Public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealing with the property will be subject to the charge of the Bank for the amounts, interest, costs and charges thereon.
The borrowers/mortgagor's attention is invited to the provisions of sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Name of Borrowers, Guarantor and Loan Account No.	Description of property mortgaged (Secured assets)	Date of Demand Notice	Date of Symbolic Possession Notice	Amount O/s as on Date of Demand Notice
Mr. Ritu S/o Babu Ram, Smt. Rajesh W/o Ritu 70190000003138	All That Piece Or Parcel Of A Residential House Admeasuring About 100 Sq. Ft. Constructed On The Plot Admeasuring About 70 Sq. Yards Appertaining To Part Of Property Id No. 35c195u116a, Khewat No. 90, Khatoni No. 100, Khasra Nos. 2//23/2/1, 10//3/2 & 14/1 And Khewat No. 91, Khtoni No. 101, Khasra Nos. 10//4/1 & 7/2, Sale Deed Reg. No. 52 Dated 03.04.2019 Situated At Mauza-pansra, Mosuma-shambhu Colony, Tehsil, Jagadhri, Distt.-Yamunanagar, State-Haryana, Pin-135004 Owned By Smt. Rajesh W/o Ritu and Same Bounded As Under: On Or Towards North 34 Ft. 4.5 Inch, Smt. Musesh On Or Towards East 18 Ft. 7 Inch, Road 19 Ft. 6 Inch Wide On Or Towards West 18 Ft. 5 Inch, Digar On Or Towards South 33 Ft. 7.5 Inch, Luxmi Goel	23-07-2026	12.11.2026	Rs. 7,46,964.83/- (As on date 09.07.2026
Mr. Sanjeev S/o Jagpal Singh, Mrs. Santosh W/o Mr. Sanjeev 71190000000060	All That Piece Or Parcel Of Admeasuring The Land Area As 36.66 Sq. Yards Bearing Part Of Plot No. 42, Khasra No. 84//2 Reg. Sale Deed No. 5715 Dated 14.01.2008 Situated At Mauza-Jagadhari, Mousuma-vishal Nagar Within MC Area, Tehsil-jagadhari, Distt.Yamunanagar, State-Haryana, Pin-135003.owned By Mrs. Santosh W/o Mr. Sanjeev , and Same Bounded As Under: On Or Towards North Remaining Part Of Plot No. 42 Malkiyati Virendra & Praveen On Or Towards East Gali Width 20 Feet On Or Towards West Plot No. 43 On Or Towards South Remaining Part Of Plot No. 42 Malkiyati Smt. Tharmo Devi	23-06-2026	12.11.2026	Rs. 5,95,050.08 /- (As on date 19.06.2026

Place : Haryana | Date : 17 November 2026
Sd/- Bandhan Bank Limited, Authorized Officer

gmda

Guwahati Metropolitan Development Authority

STATFED Building, Bhangagarh, Guwahati - 781005
Website: **www.gmda.assam.gov.in** Tel: 0361-2529650/9824
E-mail: **ceogmdaghy@gmail.com** Fax: 0361-2529991

No. GMDA/DEV/106/2026/2 **Dated:16-11-2026**

NOTICE INVITING E-TENDER

The Chief Executive Officer, Guwahati Metropolitan Development Authority, Bhangagarh, Guwahati-05 invites bids through e-Procurement system from contractors registered under Assam Public Works Department in appropriate Class (as applicable) and having requisite experience in executing similar nature of work.

Sl. No.	Name of Work	Value (in ₹)	Bid Security (₹ in lakh)	Tender Processing Fee	Completion Period
1.	Beautification, Landscaping & Architectural Enhancement work of viaduct portion on NH-27 at Betkuchi, Guwahati	**2,82,80,000.00**	2% of Bid value (1% only for the tenderer belonging to ST, SC, OBC & UGE)	**₹5,700.00**	3 Months

The detailed tender documents can be downloaded from the e-procurement portal **https://assamtenders.gov.in** from **18-11-2026**. Interested bidders are required to create their own user ID & password in the e-tendering portal. Amendment/ Addendum to the tender, and further notifications, if any, shall appear in the website **https://assamtenders.gov.in**.

Sd/- **Chief Executive Officer**
Guwahati Metropolitan Dev. Authority
Bhangagarh, Guwahati-781005

CreditWise Capital — Credit Wise Capital Private Limited

CIN: U65999MH2018PTC308086 GSTIN:27AAHCC4445P1Z5
C 46-48, 4th Floor, Paragon Centre, Pandurang Budhkar Marg, Worli Mumbai-400013.
Contact us: +91 22 6817 1111 | cs@creditwisecapital.com | www.creditwisecapital.com

STATEMENT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED SEPTEMBER 30, 2026 [REGULATION 52(8) THE SEBI (LODR) REGULATIONS, 2015]

Rs. In Lakhs

Sl. No	Particulars	Qtr. ending/ Current year ended (September'26)	Corresponding Qtr. for the previous year ended (September'25)	Previous year ended (Mar'26)
1	Total Income from Operations	4,240.30	3,160.34	13,613.36
2	Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items#)	-193.68	-128.49	204.01
3	Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items#)	-193.68	-128.49	204.01
4	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items#)	-280.08	-98.39	229.24
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	-280.08	-98.39	235.34
6	Paid up Equity Share Capital	8,053.55	7,960.71	7,958.50
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	807.11	764.60	1,100.95
8	Securities Premium Account	13,253.79	8,014.38	7,958.13
9	Net worth	23,989.45	17,677.18	17,955.08
10	Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt	61,128.63	42,216.43	50,371.43
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	1875.00	937.50	937.50
12	Debt Equity Ratio	2.55	2.39	2.81
13	Earnings Per Share (of Rs. /- each) (for continuing and discontinued operations) -			
	1. Basic:	-0.30	-0.18	0.29
	2. Diluted:	-0.30	-0.18	0.26
14	Capital Redemption Reserve	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
15	Debenture Redemption Reserve	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
16	Debt Service Coverage Ratio	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
17	Interest Service Coverage Ratio	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

** - Exceptional and/ or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind AS Rules/ AS Rules, whichever is applicable.*

Notes: *1)* The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Bombay Stock Exchange under regulation 52 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Quarterly Financial results are available on website of Bombay Stock Exchange on www.bseindia.com
2) The above results have been approved and taken on record by the Company's Board of Directors at its meeting held on 13 November 2026.

For Credit Wise Capital Private Limited
SD/-
Aalesh Piyush Avlani
Director
DIN: 08570278

Place: Mumbai
Date: 13 November 2026

NORTHERN RAILWAY

E-AUCTION NOTICE

The Sr. Divisional Commercial Manager/G, Northern Railway, Delhi Division, New Delhi invites e-Auction through IREPS **(https://ireps.gov.in/)** for allotment of contracts of General Minor Units (GMUs), Special Minor Units (SMUs) & Train Side Vending (TSV) for Catering Units at following railway stations/locations:

S.N.	Auction Catalogue No.	Date & Time for e-Auction	Train No.	Lot No.
1	TSV-NOV-01-26	02.12.2026 at 11:00 hrs	14029/14030 onboard between SGNR-DLI/MUT Section	HyB-OnB-175010-26-1

S.N.	Auction Catalogue No.	Date & Time for e-Auction	Railway Station	Lot No.	Type of Unit
1	CTG-NOV-01-26	02.12.2026 at 11:00 Hrs	Modinagar	Catg-DLI-MDNR-GMU-125-25-1	General Minor Unit (GMU)
2			Garhi Harsaru	Catg-DLI-GHH-GMU-99-25-1	
3			Mansa	Catg-DLI-MSZ-GMU-138-25-1	
4			Behta Hajipur	Catg-DLI-BHHZ-GMU-157-25-1	
5				Catg-DLI-BHHZ-GMU-90-25-1	
6			Khekra	Catg-DLI-KEX-GMU-105-25-1	
7			Ganaur	Catg-DLI-GNU-GMU-146-25-1	
8				Catg-DLI-GNU-GMU-133-25-1	
9			Khatauli	Catg-DLI-KAT-GMU-103-25-1	
10				Catg-DLI-KAT-GMU-129-25-1	
11			Mangolpuri	Catg-DLI-MGLP-GMU-108-25-1	
12			Julana	Catg-DLI-JNA-GMU-98-25-1	
13			Asaoti	Catg-DLI-AST-GMU-148-25-1	
14				Catg-DLI-AST-GMU-100-25-1	
15			Holambi Kalan	Catg-DLI-HUK-GMU-114-25-1	
16			Bareta	Catg-DLI-BRZ-GMU-88-25-1	
17			Fakharpur	Catg-DLI-FAP-GMU-95-25-1	
18			Maur	Catg-DLI-MAUR-GMU-151-25-1	
19			Gotra Halt	Catg-DLI-GTRA-GMU-158-25-1	
20			Khalilpur	Catg-DLI-KIP-GMU-92-25-1	
21			Gharaunda	Catg-DLI-GRA-GMU-97-25-1	

S.N.	Auction Catalogue No.	Date & Time for e-Auction	Railway Station	Lot No.	Type of Unit
1	CTG-NOV-02-26	03.12.2026 at 11:00 Hrs	Samalkha	Catg-DLI-SMK-GMU-87-25-1	General Minor Unit (GMU)
2			Tuglakabad	Catg-DLI-TKD-GMU-169-25-1	
3			Sampla	Catg-DLI-SPZ-GMU-150-25-1	
4			Mohiuddinpur	Catg-DLI-MUZ-GMU-154-25-1	
5			Mandawali Chander Vihar Halt	Catg-DLI-MWC-GMU-113-25-1	
6			Sujra Halt	Catg-DLI-SUJR-GMU-112-25-1	
7			Taj Nagar	Catg-DLI-TNJR-GMU-176-25-1	
8			Sunehra	Catg-DLI-SFA-GMU-107-25-1	
9			Vivek Vihar	Catg-DLI-VVB-GMU-109-25-1	
10			Shahabad Markanda	Catg-DLI-SHDM-GMU-131-25-1	
11			Rathdhana	Catg-DLI-RDDE-GMU-155-25-1	
12			Muradnagar	Catg-DLI-MUD-GMU-91-25-1	
13				Catg-DLI-MUD-GMU-128-25-1	
14			Uchana	Catg-DLI-UCA-GMU-110-25-1	
15			Partapur	Catg-DLI-PRTP-GMU-156-25-1	
16			Naya Ghaziabad	Catg-DLI-GZN-GMU-132-25-1	
17			Okhla	Catg-DLI-OKA-GMU-170-25-1	
18			Tohana	Catg-DLI-TUN-GMU-123-25-1	
19			Daya Basti	Catg-DLI-DBSI-SMU-116-25-1	Special Minor Unit (SMU)
20			Delhi Azadpur	Catg-DLI-DAZ-SMU-122-25-1	
21			Palwal	Catg-DLI-PWL-SMU-166-25-1	

Website particulars where complete details of E-Auction can be seen	**https://ireps.gov.in/ (E-Auction-Leasing)**

All contractors who intend to participate in the e-auctions conducted through E-Auction Leasing module of IREPS should fulfil following mandatory requirements before they can submit their bids:

- Registration on IREPS for E-Auction Leasing module – Active IREPS User Account for E-Auction Leasing Module.
- Payment of One Time Registration Fee; Current Account in State Bank of India; Integration of SBI Bank Account with IREPS Account; Lien Marking of Funds; Updation of Turnover Details.
- A new mechanism namely **Virtual Account Number (VAN)** has been introduced now for E-Auction Leasing module, which can be used by the bidders as an alternative to Lien Marking Mechanism.
- The bidders are free to switch between Lien Marking Mechanism (if activated) and VAN mechanism at any point of time, before entering the bidding room. VAN mechanism does not require the bidder to have a current account in State Bank of India. The users are free to transfer money from any of their existing bank accounts in any bank to their VAN account, which enables them to participate in IREPS E-Auctions.
- Contractors who do not have IREPS account for any module of IREPS can submit their online request for registration by clicking on New Vendors / Contractors (E-Tender / E-Auction Leasing) link on IREPS Home page.

Railway Authority to Contact, in case of any query	Divisional Railway Manager's Office Commercial Branch, State Entry Road, New Delhi – 110055, **Email:** catering.delhidivision@gmail.com, **Tel:** 011-23743084

No. 23 AC/Ctg./e-Auction/GMU, SMU & TSV/2026 Date: 16.11.2026 **4001/2026**

SERVING CUSTOMERS WITH A SMILE

SHREEJI SHIPPING GLOBAL LIMITED

(Formerly known as SHREEJI SHIPPING GLOBAL PRIVATE LIMITED & SHREEJI SHIPPING)
CIN: L52242GJ2024PLC150537
Reg. Office: "SHREEJI HOUSE", Town Hall Circle, Jamnagar-361001 (Gujarat), India • Phone: +91 288 2553331, 2673331, 2555352, 2675334, Fax: +91 288 2556525
E-mail: info@shreejishipping.in • Web: www.shreejishipping.in

POSTAL BALLOT NOTICE

(Pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014)

VOTING STARTS ON	VOTING ENDS ON
Tuesday, November 17, 2026	Wednesday, December 16, 2026

Dear Member(s),

NOTICE is hereby given pursuant to the provisions of Sections 108 and Section 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, ('Act') read with Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, ('Rules'), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations'), Secretarial Standard on General Meetings issued by The Institute of Company Secretaries of India ('SS-2'), each as amended, and other applicable laws and regulations (including any statutory modification or re-enactment(s) thereof for the time being in force) and in terms of the circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India (the 'MCA') vide its General Circular Nos. 14/2020 dated April 08, 2020 and other relevant circulars latest being 03/2025 dated September 22, 2025 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India (collectively referred to as "MCA Circulars"), the resolutions set out below are proposed to be passed by the Members of **"Shreeji Shipping Global Limited"** ("The Company") by means of Postal Ballot, only by way of remote e-voting ("e-voting") process.

The proposed resolutions and the Explanatory Statement pursuant to Section 102 and Section 110 of the Act and any other applicable provisions of the Act, read with Rules framed thereunder, setting out the material facts and reasons thereof concerning the resolutions mentioned in this Postal Ballot Notice ("Notice"), are annexed hereto.

In compliance with the requirements of the MCA Circulars, the Postal Ballot Notice is being sent only through electronic mode to those shareholders whose email address is registered with M/s. Bigshare Services Private Limited ("RTA"), the Company's Registrar and Share Transfer Agent, and/or the Depository Participant(s) and the hard copy of the Postal Ballot Notice along with Postal Ballot Forms and pre-paid business envelope will not be sent to the shareholders for this Postal Ballot and the shareholders are required to communicate their assent or dissent through the remote e-voting system only.

In compliance with Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations and pursuant to the provisions of Sections 108 and 110 of the Act read with the Rules framed thereunder and the MCA Circulars, the manner of voting on the proposed resolutions is restricted only to e-voting i.e., by casting votes electronically instead of submitting postal ballot forms. The instructions for e-voting are appended to this Notice.

Pursuant to Rule 22(5) of the Rules, the Board of Directors of the Company has appointed M/s. SCS and Co LLP, Practicing Company Secretaries, as Scrutinizer for conducting the Postal Ballot through Remote e-Voting process in a fair and transparent manner and in accordance with the provisions of the Act and the rules made thereunder.

Members are requested to carefully read the instructions mentioned under the head 'General information and instructions relating to e-voting' in this Notice and record their assent ("FOR") or dissent ("AGAINST") on the proposed resolutions through the e-voting process not later than 5:00 p.m. (IST) on Wednesday, December 16, 2026, failing which it will be considered that no reply has been received from the Member.

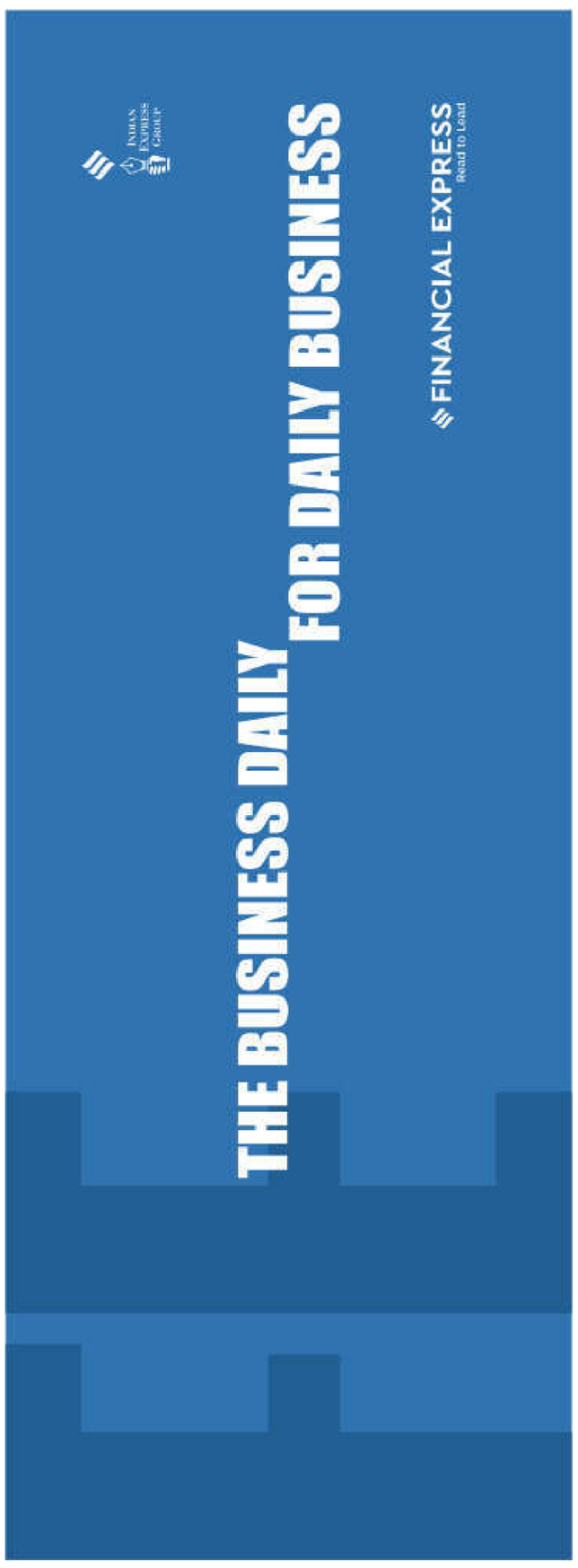
The Company has engaged the Services of National Securities Depository Limited (hereinafter referred to as "NSDL" or "Service Provider") for facilitating e-voting to enable the Members to cast their votes electronically instead of dispatching postal ballot forms. The postal ballot results will be submitted within 2 (Two) working days from conclusion of the e-voting period to the stock exchanges in accordance with the SEBI Listing Regulations.

The Scrutinizer will submit the results of the e-voting to the Chairman of the Company or any other authorized officer(s) of the Company after completion of the scrutiny of the e-voting on or before Friday, December 18, 2026. The results of the Postal Ballot along with the Scrutinizer's Report will also be displayed on the website of the Company at www.shreejishipping.in on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com and shall also be displayed at the Registered Office of the Company while simultaneously being communicated to the National Stock Exchange of India Limited (NSE) and BSE Limited (BSE) where the equity shares of the Company are listed.

The proposed resolutions, if approved by the requisite majority of Members, shall be taken as having duly passed on the last date specified for e-voting by means of Postal Ballot, i.e., Wednesday, December 16, 2026.

By order of the Board of Directors,
Shreeji Shipping Global Limited
SD/-
Archanaba Krunalsinh Gohil
Company Secretary & Compliance Officer

Place : Jamnagar
Date : November 14, 2026



खबर कोना

सर्दियों में बेघर लोगों को आश्रय के लिए लगाए जाएंगे 400 अतिरिक्त तंबू

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 16 नवंबर।

दिल्ली सरकार इस सर्दी में राष्ट्रीय राजधानी के चार हजार बेघर लोगों को आश्रय देने के लिए करीब 400 अतिरिक्त जलरोधी और अग्निरोधी तंबू लगाएगी। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआइबी) की शीतकालीन कार्ययोजना 2026-27 में यह जानकारी दी गई है। इसके साथ ही इन आश्रय स्थलों की कुल क्षमता बढ़कर 11 हजार से अधिक हो जाएगी। बोर्ड फिलहाल दिल्ली में करीब 197 आश्रय स्थलों का संचालन कर रहा है, जिनकी कुल क्षमता 7,092 लोगों की है। इनमें से 82 आश्रय स्थल आरसीसी भवनों में हैं, जबकि 115 पोर्टा केबिन संरचनाओं में संचालित होते हैं। योजना के अनुसार, सर्दियों में आश्रय की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बेघर लोगों की अधिक संख्या वाले स्थानों पर 400 अतिरिक्त पगोड़ा तंबू लगाए जाएंगे और जरूरत पड़ने पर अन्य तंबू भी लगाए जाएंगे। शीतकालीन कार्ययोजना रविवार, 15 नवंबर से लागू हो गई है और यह 15 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगी। इस योजना का उद्देश्य दिल्ली के बेघर लोगों को कड़ाके की ठंड से बचाना है।

व्यापार मेले का टिकट बेचने के नाम पर महिला से ठगी, आरोपी गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 16 नवंबर।

नई दिल्ली जिला पुलिस ने भारत मंडपम में आयोजित अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला (आइआइटीएफ) के टिकट बेचने के नाम पर एक महिला के साथ ठगी करने और उसका मोबाइल फोन हैक करने की कोशिश के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मौजपुर, उत्तरी पूर्वी दिल्ली निवासी मोहम्मद फैसल के तौर पर हुई है। नई दिल्ली जिला पुलिस उपायुक्त सचिन शर्मा ने सोमवार को बताया कि महिला रविवार को व्यापार मेले गई थी और भारत मंडपम की द्वार संख्या चार के बाहर आनलाइन माध्यम से टिकट खरीदने की कोशिश कर रही थी, तभी आरोपी मोहम्मद फैसल उसके पास आया और उसे 400 रुपए में एक टिकट देने की पेशकश की। उनके मुताबिक, टिकट के बदले महिला से 1200 रुपए का भुगतान लेने के लिए आरोपी ने उसे क्यूआर कोड दिया और जैसे ही महिला ने क्यूआर कोड को स्कैन किया, उसका आइफोन अचानक सिंक होने लगा और उसने काम करना बंद कर दिया, जिसके कारण वह फोन का इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी।

दिल्ली हाई कोर्ट ने रेलवे को दिया निर्देश, कहा

भीड़-प्रबंधन से जुड़े नियमों को सख्ती से लागू करें

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 16 नवंबर।

दिल्ली हाई कोर्ट ने रेलवे अधिकारियों से कहा है कि वे रेलवे स्टेशन पर भीड़-प्रबंधन से जुड़े नियमों को सख्ती से लागू करें और किसी भी ऐसे आयोजन से कम से कम एक हफ्ते पहले व्यवस्थाओं का जायजा लें, जिसमें यात्रियों की भारी भीड़ जुटने की संभावना हो।

न्यायमूर्ति अमित महाजन ने कहा कि रेलवे के मौजूदा प्रोटोकाल में त्योहारों और मेलों के लिए पहले से तैयारियां करने, यात्रियों के लिए 'होल्डिंग एरिया' (प्रतीक्षा क्षेत्र) बनाने, प्रवेश एवं निकास नियंत्रित करने, सीसीटीवी निगरानी तथा वेटिंग लिस्ट की सीमा तय करने जैसे प्रावधान पहले से मौजूद हैं, लेकिन फरवरी 2025 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ से पता चलता है कि असल में सबसे महत्त्वपूर्ण यह है कि



अदालत ने यह आदेश दो यात्रियों की याचिका पर दिया, जो 15 फरवरी 2025 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने के कारण ट्रेन में चढ़ नहीं पाए थे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी 2025 की रात मची भगदड़ में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई थी।

भीड़भाड़ वाले हर आयोजन से पहले और उसके दौरान इन उपायों को जमीनी स्तर पर किस तरह से लागू किया जाता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हर मामले में जवाबदेही होनी चाहिए और उचित रिकार्ड रखा जाना चाहिए। अदालत ने दो नवंबर को सुनाए गए फैसले में संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया कि किसी अप्रिय घटना के बाद जरूरत पड़ने पर की जाने वाली व्यवस्थाओं के बारे में एक लिखित रिपोर्ट तैयार की जाए। उसने कहा कि यह देखते हुए कि 24 अक्तूबर 2025 को स्टेशन (नई दिल्ली रेलवे) पर यात्रियों की दैनिक संख्या 3,29,527 तक पहुंच गई थी, अदालत का मानना है कि भीड़-भाड़ वाले हर मौके पर किए गए उपायों की निगरानी की जानी चाहिए और उनका रिकार्ड रखा जाना चाहिए।

अदालत ने कहा कि प्रतिवादियों को मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) और परिपत्रों का सख्ती से पालन करना होगा, ऐसे किसी भी आयोजन से पहले, जहां बड़ी संख्या में यात्रियों के आने की उम्मीद हो, प्रतिवादियों के सक्षम प्राधिकारी की ओर से नामित एक वरिष्ठ अधिकारी आयोजन से कम से कम एक हफ्ते पहले दिल्ली पुलिस और अन्य संबंधित एजंसियों के साथ मिलकर व्यवस्थाओं की समीक्षा करेगा। आदेश का पालन न होने पर संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

अदालत ने यह आदेश दो यात्रियों की याचिका पर दिया, जो 15 फरवरी 2025 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने के कारण ट्रेन में चढ़ नहीं पाए थे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी 2025 की रात मची भगदड़ में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई। स्टेशन के प्लेटफार्म 14 और 15 पर यात्रियों की भारी भीड़ जमा थी, जो प्रयागराज जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, जहां महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा था।

छठ के बाद लौटने वाले यात्रियों के लिए पांच दिन सुबह जल्दी चलेगी मेट्रो

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 16 नवंबर।

दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने सोमवार को कहा कि छठ पूजा के बाद राष्ट्रीय राजधानी में लौटने वाले यात्रियों की सुविधा और प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाले लोगों की आवाजाही सुगम बनाने के लिए 18 से 22 नवंबर तक मेट्रो सेवाएं सुबह जल्दी शुरू की जाएंगी।

दिल्ली मेट्रो ने बताया कि इन पांच दिनों के दौरान आनंद विहार से ब्लू और पिंक लाइन तथा नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन से येलो लाइन पर मेट्रो सेवाएं सुबह पांच बजकर 15 मिनट से उपलब्ध होंगी। मेट्रो ने बताया कि राजीव चौक और कश्मीरी गेट जैसे प्रमुख बदलाव सुविधा वाले स्टेशनों पर रेड, ग्रीन और वायलेट लाइन सहित अन्य लाइनों से संपर्क सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त ट्रेन भी चलाई जाएंगी। छठ पूजा के बाद बड़ी संख्या में यात्रियों के दिल्ली लौटने की संभावना को देखते हुए यह कदम उठाया गया।



रोष नई दिल्ली में सोमवार को आइसा सदस्यों ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कार्यालय के बाहर प्रदूषण के विरोध में प्रदर्शन किया।

विश्व व्यापार मेला

बिहार पवेलियन में दिखी विरासत की झलक

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 16 नवंबर।

बिहार सरकार के उद्योग सचिव कुंदन कुमार एवं दिल्ली में बिहार सरकार के स्थानिक आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने सोमवार को भारत मंडपम के हाल नंबर-2 में स्थापित बिहार पवेलियन का उद्घाटन किया एवं यहां पर लगे स्टालों का दौरा किया। इस दौरान पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार की संयुक्त सचिव पलका साहनी भी उपस्थित रहीं।

विश्व व्यापार मेले में इस साल सहयोगी राज्य बिहार ने अपने गौरवशाली इतिहास, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विकास की उल्लेखनीय यात्रा को एक आकर्षक अंदाज में प्रस्तुत किया है। इस वर्ष के मेले की थीम विकास और विरासत रखी गई है। बता दें कि

केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह सोमवार देर शाम भारत मंडपम में आयोजित 45वें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के बिहार पवेलियन का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बिहार के उद्यमियों, कलाकारों एवं शिल्पकारों से मुलाकात की।

बिहार पवेलियन में जहां विरासत के रूप में राज्य की कला, हस्तशिल्प और संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है, वही बिहार में हो रहे विकास, उद्योग एवं निवेश को भी प्रदर्शित किया गया है।

स्थानिक आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने कहा कि हमारा उद्देश्य बिहार के उद्यमियों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच दिलाना, उनके उत्पादों के ग्राहकों की संख्या बढ़ाना और उन्हें बाजार की जरूरतों को समझने का अवसर प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि यहां हस्तशिल्प एवं स्थानीय उत्पादों से लेकर औद्योगिक विकास और निवेश के अनुकूल वातावरण तक की व्यापक जानकारी भी मिलेगी।

वहीं, केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह सोमवार देर शाम भारत मंडपम में आयोजित 45वें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के बिहार पवेलियन का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बिहार के उद्यमियों, कलाकारों एवं शिल्पकारों से मुलाकात की तथा उनके द्वारा प्रदर्शित उत्पादों, पारंपरिक कलाओं और हस्तशिल्प की जानकारी ली। उन्होंने बिहार की समृद्ध कला एवं सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहित करने के प्रयासों की सराहना की।

व्यापारियों से ठगी के मामले में 20 गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 16 नवंबर।

द्वारका जिला पुलिस ने व्यापारियों को विदेशी खरीदार उपलब्ध कराने के नाम पर उनसे ठगी करने वाले एक फर्जी काल सेंटर का पर्दाफाश करते हुए 20 लोगों को पकड़ा है।

पुलिस ने सोमवार को बताया कि पालम एक्सटेंशन, सेक्टर सात में वेब साल्यूशंस एक्सपोर्ट नाम से संचालित एक कंपनी के कार्यालय पर छापा मारा और 34 मोबाइल फोन, आठ लैपटाप, 14 सीपीयू, फर्जी प्रमाण पत्र, चेक बुक और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए। द्वारका जिला पुलिस उपायुक्त कुशल पाल सिंह के मुताबिक यह गिरोह राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर दर्ज शिकायतों के विश्लेषण के दौरान सामने आया, जिससे पता चला कि ठग म्यूल (कमीशन पर मिलने वाले) बैंक खातों के माध्यम से ठगी की रकम एकत्र कर रहे थे। महाराष्ट्र में दर्ज साइबर धोखाधड़ी की शिकायत में एक कंपनी के नाम पर खोला गया बैंक खाता जांच के दायरे में आया। पुलिस को पता चला कि कंपनी का कार्यालय पालम एक्सटेंशन में है, जहां एक काल सेंटर चल रहा था। छापेमारी के दौरान पुलिस ने कार्यालय में लगभग 20 लोगों को मोबाइल फोन और कंप्यूटर सिस्टम पर काम करते हुए पाया।

यूनानी पद्धति से इलाज के नाम पर ठगी, 12 लोग पकड़े गए

दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक आपरेशंस (आइएफएसओ) इकाई ने यूनानी पद्धति से इलाज के नाम पर ठगी करने वाले एक अवैध काल सेंटर का पर्दाफाश कर 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सोमवार को बताया कि आरोपियों की पहचान पंकज, मुनीर, अमित तिवारी, विवेक, शिवम मंडल, समीर कुमार, अंशु, शाहिद, ईशांत, मोंटी, अंकित और सूरज के रूप में हुई है। विशेष प्रकोष्ठ से संबद्ध आइएफएसओ के उपायुक्त (डीसीपी) गौरव त्यागी ने सोमवार को बताया कि आरोपी पीतमपुरा के शिवाजी मार्केट स्थित एक कार्यालय से एमडीएल नेचुरल यूनानी हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड/नेचुरल यूनानी हेल्थ केयर के नाम पर अनधिकृत काल सेंटर का संचालन कर रहे थे।

LG

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड

CIN: L32107DL1997PLC220109
पंजीकृत कार्यालय: ए-24/6, मोहन कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट, मथुरा रोड, नई दिल्ली - 110044
ई-मेल आईडी: cgc.india@lge.com, **वेबसाइट:** www.lg.com/in
टेलीफोन: +91-120-651-6700

डाक मतदान/ई-वोटिंग की सूचना

यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 108 और 110 और अन्य प्रभावी प्रावधानों के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) विनियम, 2014 ("विनियम") के नियम 20 और 22 और इस अधिनियम और विनियम के अन्य प्रभावी प्रावधानों के अनुसार, इस संबंध में इससे पूर्व के एमसीए सर्कुलरों ("एमसीए सर्कुलर") के सिलसिले में जारी सितंबर 22, 2025 दिनांकित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") की सामान्य सर्कुलर सं. 03/2025 और सेबी (आवश्यक सूचीबद्धीकरण दायित्व एवं घोषणा) नियमन, 2015 ("सेबी लिस्टिंग रेगुलेशन्स") के लागू नियम के साथ पठित सेबी के समय-समय पर जारी सर्कुलरों, इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज़ ऑफ इंडिया ("आईसीएसआई") द्वारा निर्धारित सामान्य बैठकों के लिए सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड ("एसएस-2") और अन्य किसी भी प्रभावी कानून के अनुसार कम्पनी **सोमवार, 16 नवंबर, 2026** को सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सभी सदस्यों को डाक मतदान सूचना के साथ-साथ व्याख्यात्मक विवरण भेजने का कार्य पूरा कर चुकी है जिन सब का ईमेल पता **शुक्रवार, 06 नवंबर, 2026** ("कट-ऑफ डेट") तक कम्पनी/रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट (आरटीए)/डिपॉजिटरी के पास दर्ज थे।

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

क. डाक मतदान की सूचना में उल्लिखित विशेष कार्य निम्नलिखित विधि से सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ("रिमोट ई-वोटिंग") के माध्यम से पूरा किए जाने का प्रस्ताव है:

प्रस्ताव का प्रकार	प्रस्ताव
विशेष	कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट्स क्लॉज़ में परिवर्तन करना

ख. सदस्यों को ई-वोटिंग की सुविधा देने के लिए कम्पनी ने बतौर एजेंसी नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की सेवाएं ली हैं। ई-वोटिंग संबंधी निर्देश डाक मतदान की सूचना में दिए गए हैं। सदस्यगण उपरोक्त प्रस्ताव पर सिर्फ ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान कर सकते हैं। इसलिए सदस्यगण कृपया निम्नलिखित ई-वोटिंग अवधि का ध्यान रखें:

ई-वोटिंग आरंभ:	मंगलवार, 17 नवंबर, 2026 सुबह 9:00 बजे (आईएसटी)
ई-वोटिंग समाप्त:	बुधवार, 16 दिसंबर, 2026 शाम 5:00 बजे (आईएसटी)

उल्लिखित तिथि और समय अवधि के बाद ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी और समय समाप्त होने के साथ एनएसडीएल ई-वोटिंग मॉड्यूल को बंद कर देगा। मतदान करने के बाद कोई सदस्य इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता है।

ग. सदस्यगण यह भी ध्यान रखें कि मतदान का अधिकार सिर्फ उन सदस्यों को होगा जिनके नाम कट-ऑफ तिथि में सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामियों की सूची में होंगे। किसी सदस्य के मताधिकार कट-ऑफ तिथि में कम्पनी के पेड-अप इक्विटी शेयर कैपिटल में उनकी शेयरधारिता के अनुपात में होंगे। कोई व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि में सदस्य नहीं है, इस नोटिस को सिर्फ एक सूचना समझे।

घ. डाक मतदान की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.lg.com/in; एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com और बीएसई लिमिटेड ("बीएसई") और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ("एनएसई") की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

ङ. जिन सदस्यों के केवाईसी विवरण (जैसे डाक पता पिन कोड के साथ, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, पैन कार्ड जो आधार से जुड़ा हो, आदि) या ई-मेल पता कम्पनी के पास या उससे जुड़े डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास रजिस्टर्ड/अपडेट नहीं हैं और जो यह सूचना और भविष्य में कम्पनी द्वारा समय-समय पर भेजी जाने वाली सभी अन्य जानकारियां प्राप्त करने के इच्छुक हैं निम्नलिखित चरणों में केवाईसी विवरण और ई-मेल पता रजिस्टर/अपडेट कर सकते हैं:

i. जिन सदस्यों के शेयर भौतिक रूप में हैं अपना ई-मेल पता रजिस्टर/अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए आधार से जुड़े पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति और सदस्य के पता प्रमाण डॉक्युमेंट की स्व-सत्यापित प्रति (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, चुनाव पहचान पत्र, पासपोर्ट, आदि) और फॉर्म आईएसआर-1 में उल्लिखित ऐसे अन्य डॉक्युमेंट के साथ फॉर्म आईएसआर-1 में विधिवत निवेदन पत्र भर कर और हस्ताक्षर कर अपने पंजीकृत ईमेल पते से cgc.india@lge.com पर ईमेल करना होगा और तदुपरांत उसकी भौतिक प्रति कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय या सीधे कम्पनी के आरटीए केफिनटेक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को डाक से भेजना अनिवार्य है। यदि ईमेल पता पंजीकृत नहीं है तो भौतिक प्रति कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय या सीधे आरटीए को डाक से भेजना होगा।

ii. सदस्य जिनके शेयर डीमैट रूप में हैं अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास केवाईसी के विवरण और ई-मेल पता अपडेट कर सकते हैं।

च. निदेशक मंडल ने रिमोट ई-वोटिंग में ईमानदारी और पारदर्शिता के उद्देश्य से डाक मतदान की स्क्रूटिनी के लिए प्रैक्टिसिंग कम्पनी सेक्रेटरीज मेसर्स नीरज अरोड़ा एंड एसोसिएट्स के प्रोपराइटर श्री नीरज अरोड़ा (सदस्यता संख्या एफसीएस 10781; सीपी नंबर 16186) को स्क्रूटिनाइजर नियुक्त किया है।

छ. डाक मतदान के परिणामों की घोषणा ई-वोटिंग समाप्त होने के 2 कार्य दिवसों के अंदर स्वयं चेयरमैन या उनके अधिकृत व्यक्ति करेंगे और ये स्क्रूटिनाइजर की रिपोर्ट के साथ कम्पनी की वेबसाइट www.lg.com/in पर और कम्पनी के अधिकृत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित किए जाएंगे और इसकी सूचना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड को दी जाएगी। ई-वोटिंग की अंतिम तिथि यानी बुधवार, 16 दिसंबर, 2026 वह तिथि है जिसमें यदि आवश्यक बहुमत मिला तो प्रस्ताव पारित मान लिया जाएगा।

ज. ई-वोटिंग के बारे में कुछ पूछने या शिकायत करने के इच्छुक सदस्य https://www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध सदस्यों द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले सवाल ("एफएक्यू") और ई-वोटिंग यूजर मैनुअल पढ़ें या 022-4886-7000 पर कॉल करें या evoting@nsdl.com के माध्यम से सुश्री पल्लवी म्हात्रे, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, एनएसडीएल, टी301, तल 3, नमन चेंबर्स, जी ब्लॉक, प्लॉट नंबर सी-32, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा ईस्ट, मुंबई-400051 से संपर्क करें जो ई-वोटिंग संबंधी शिकायतों का समाधान करेंगी। सदस्य कम्पनी के कम्पनी सचिव और कंप्लायंस ऑफिसर को भी cgc.india@lge.com पर इस संबंध में लिख सकते हैं।

स्थान: नोएडा
तिथि: नवंबर 16, 2026

कृते एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड
अनुज गोयल
कम्पनी सचिव और कम्प्लायंस अधिकारी
आईसीएसआई सदस्यता संख्या ए23761

माजरा डबास गांव में तालाब में उतरे युवक की डूबने से गई जान

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 16 नवंबर।

कंझावला थाना क्षेत्र स्थित माजरा डबास गांव में तालाब में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। युवक की पहचान 35 वर्षीय बब्लू सैनी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि युवक रविवार शाम तालाब में नशे की हालत में कूद गया था। सोमवार को उसका शव तालाब से बरामद किया गया।

दमकल विभाग के मुताबिक, रविवार शाम करीब 5:06 बजे माजरा डबास गांव के तालाब में एक शख्स के डूबने की सूचना मिली थी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस, दमकल विभाग, एनडीआरएफ और डीडीएमए की टीमें पहुंच गईं। बचाव दल ने रविवार देर रात तक तलाशी अभियान चलाया, पर कुछ सुराग नहीं मिला। सोमवार सुबह फिर से अभियान चलाया गया। सुबह करीब 10:00 बजे युवक का शव मिला। पुलिस जांच में सामने आया कि बबूल सैनी दिहाड़ी मजदूरी था। उसके परिवार में पत्नी व बच्चे हैं।

बताया जा रहा है कि रविवार को जब तालाब पर पहुंचा तो तालाब को एक तरफ से दूसरी तरफ पार करने की बात कहकर छलांग लगा दी। वहां मौजूद लोगों ने उसे बचाने और तलाशने की कोशिश की गई, लेकिन वह डूब गया। अधिकारी ने बताया कि लोगों ने तालाब के पास छठ घाट बनाया हुआ था। घाट के संबंध में किसी भी विभाग को कोई जानकारी नहीं थी। जांच में पता चला कि बबलू अधिक मात्रा में शराब का सेवन भी किया हुआ था।

पुलिस ने लारेंस बिश्नोई से जेल में मिलने वाले लोगों का ब्योरा मांगा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 16 नवंबर।

दिल्ली पुलिस ने जेल के बाहर सक्रिय व्यक्तियों के साथ गिरोहबाज लारेंस बिश्नोई के संभावित संपर्कों की पहचान करने की कवायद के तहत गुजरात की साबरमती केंद्रीय जेल के अधिकारियों को पत्र लिखकर उससे मिलने वालों का ब्योरा मांगा है। पुलिस बल के सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि उन्होंने उन सभी लोगों का विवरण मांगा है, जो जेल में बिश्नोई से मिले हैं या व्यक्तिगत रूप से उससे मिलना चाहते थे, ताकि उनकी पृष्ठभूमि और संभावित संबंधों की जांच की जा सके। अधिकारी ने कहा कि जेल अधिकारियों से विवरण मिलने के बाद, समर्पित टीम इन लोगों की गतिविधियों और आवाजाही पर कड़ी नजर रखेंगी। उनके और बिश्नोई के करीबी सहयोगियों के साथ संभावित संबंधों की भी जांच की जाएगी। यह कदम व्यापारियों और फिल्म जगत से जुड़े लोगों से बिश्नोई गिरोह के नाम पर कथित तौर पर मांगी जा रही रंगदारी और धमकियों के बीच उठाया गया है। दिल्ली में, निहाल विहार स्थित एक निजी अस्पताल के मालिक ने हाल में पुलिस से संपर्क किया और आरोप लगाया कि गिरोह से जुड़े होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है और 20 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है। यह धमकी कथित तौर पर एक अंतरराष्ट्रीय फोन नंबर से सोशल मीडिया के माध्यम से दी गई थी।

नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड

CIN: L92111DL1988PLC033099
पंजीकृत कार्यालय: डब्लू-17, दूसरी मंजिल, ग्रेटर कैलाश-I, नई दिल्ली - 110048
फोन: (91-0120) 6835000, 6462200 | **ई-मेल:** secretarial@ndtv.com | **वेबसाइट:** www.ndtv.com

पोस्टल बैलट की सूचना और ई-वोटिंग की जानकारी

नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 108, 110 तथा अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, के अंतर्गत, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और 22 के साथ पठित, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020, 22/2020 दिनांक 15 जून, 2020, 33/2020 दिनांक 28 सितंबर, 2020, 39/2020 दिनांक 31 दिसंबर, 2020, 10/2021 दिनांक 23 जून, 2021, 20/2021 दिनांक 8 दिसंबर, 2021, 3/2022 दिनांक 5 मई, 2022, 11/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022, 9/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023, 9/2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024 तथा 03/2025 दिनांक 22 सितंबर, 2025 (सामूहिक रूप से **"एमसीए परिपत्र"** के रूप में संदर्भित), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक (**"एसएस-2"**), तथा उस समय लागू किसी भी अन्य कानून, नियमों और विनियमों (उनके किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित) के अनुपालन में, कंपनी दिनांक 26 अक्टूबर, 2026 की पोस्टल बैलट सूचना में व्याख्यात्मक विवरण सहित निर्धारित विशेष व्यवसायों के लिए सदस्यों की स्वीकृति केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (अर्थात् रिमोट ई-वोटिंग) द्वारा विशेष प्रस्ताव के माध्यम से प्राप्त करना चाहती है।

पोस्टल बैलट सूचना ("सूचना") की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां, व्याख्यात्मक विवरणों के साथ, सोमवार, 16 नवंबर, 2026 को उन सदस्यों को प्रेषित की गई हैं जिनके नाम राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल") से शुक्रवार, 13 नवंबर, 2026 ("कट-ऑफ तिथि") को प्राप्त सदस्यों के रजिस्टर / लाभकारी स्वामियों की सूची में अंकित हैं तथा जिन्होंने कंपनी/डिपॉजिटरी/आरटीए के साथ अपने ई-मेल पते पंजीकृत कराए हैं। एमसीए परिपत्रों में प्रदान की गई छूट के अनुरूप, इस पोस्टल बैलट के लिए सूचना की भौतिक प्रतियां, पोस्टल बैलट प्रपत्रों एवं पूर्व-भुगतानित व्यावसायिक प्रत्युत्तर लिफाफों के साथ, सदस्यों को नहीं भेजी जा रही हैं।

यदि आपका ई-मेल पता कंपनी/आरटीए/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं है, तो कृपया ई-मेल पता पंजीकृत कराने तथा ई-वोटिंग के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करें।

i. भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे आरटीए को einward.ris@kfintech.com पर लिखकर अपना ई-मेल पता पंजीकृत या अद्यतन कराएं।

ii. अभौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास अपना ई-मेल पता पंजीकृत या अद्यतन कराएं।

यह सूचना कंपनी की वेबसाइट अर्थात् www.ndtv.com पर तथा स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों पर क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर तथा एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।

कंपनी सदस्यों को केवल एनएसडीएल द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करती है। ई-वोटिंग के लिए विस्तृत निर्देश सूचना में प्रदान किए गए हैं।

रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा निम्नलिखित अवधि के दौरान उपलब्ध है।

ई-वोटिंग की शुरुआत	मंगलवार, 17 नवंबर, 2026 को सुबह 9:30 बजे
ई-वोटिंग की समाप्ति	बुधवार, 16 दिसंबर, 2026 को शाम 5:00 बजे

इसके पश्चात मतदान के लिए एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को बंद कर दिया जाएगा। इस अवधि के दौरान, कट-ऑफ तिथि को भौतिक रूप में या अभौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मत डाल सकते हैं।

किसी प्रस्ताव पर सदस्य द्वारा एक बार मतदान कर देने के बाद, वह उसे बाद में परिवर्तित नहीं कर सकता/सकती। सदस्यों के मतदान अधिकार कट-ऑफ तिथि को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनकी हिस्सेदारी के अनुपात में होंगे। जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि पर सदस्य नहीं है, उसे इस सूचना को केवल जानकारी के लिए ही समझना चाहिए।

कंपनी के निदेशक मंडल ने पोस्टल बैलट प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संचालित करने के लिए एम/एस. विशाल अरोड़ा एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज को स्क्रूटिनाइज़र के रूप में नियुक्त किया है।

पोस्टल बैलट के माध्यम से किए गए मतदान के परिणाम स्क्रूटिनाइज़र की रिपोर्ट सहित पोस्टल बैलट की समाप्ति के दो (2) कार्य दिवसों के भीतर अर्थात् 18 दिसंबर, 2026 को या उससे पूर्व घोषित किए जाएंगे। उक्त परिणाम स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड, जहाँ कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, को सूचित करने के पश्चात कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रदर्शित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, परिणाम कंपनी की वेबसाइट अर्थात् www.ndtv.com तथा एनएसडीएल की वेबसाइट अर्थात् www.evoting.nsdl.com पर भी अपलोड किए जाएंगे।

ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न या समस्या की स्थिति में, आप www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) एवं ई-वोटिंग यूज़र मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या 022 – 4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं अथवा एनएसडीएल की उपाध्यक्ष (डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट), सुश्री पल्लवी म्हात्रे को evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं।

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 16 नवंबर, 2026

कृते नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड
हस्ता./-
परिणीता भूटानी दुग्गल
कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी